

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / अकादमिक / अ०म० / 2021 / 1035

रीवा, दिनांक 5.8.21


अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत समाजविज्ञान संकाय अन्तर्गत समाजशास्त्र के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी -

समाजशास्त्र अध्ययन मण्डल


| | | | |
|---------|------------|----|---|
| अधिनियम | 28(2) एक | 1. | रिक्त |
| | 28(2) दो | 1. | डॉ० तरुणेश प्रताप सिंह, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, शास० संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय, जिला-सीधी (म०प्र०) |
| | | 2. | डॉ० ए०के० उपाध्याय, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, शास० नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुंदार, जिला-शहडोल (म०प्र०) |
| | 28(2) तीन | 1. | रिक्त |
| | 28(2) चार | 1. | डॉ० (श्रीमती) करुणा श्रीवास्तव सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, शास० महाविद्यालय, गुड, जिला-रीवा (म०प्र०) |
| | | 2. | डॉ० महानंद द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, शहीद कंदारनाथ महाविद्यालय, मऊगज, जिला-रीवा (म०प्र०) |
| | 28(2) पाँच | 1. | डॉ० महेश शुक्ला, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शास० टी०आर०एस० महाविद्यालय, रीवा (म०प्र०) |
| | | 2. | डॉ० राजेश प्रसाद मिश्रा, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, शास० विवेकानंद महाविद्यालय, मैहर, सतना (म०प्र०) |

अधिनियम 28(3) के अन्तर्गत डॉ० ~~तरुणेश~~ प्रताप सिंह को समाजशास्त्र अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव 5.8.21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल (म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, समाजविज्ञान संकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग, भोपाल (म०प्र०)
8. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)